



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13631-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 212/2025

सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य अपीलकर्ता

बनाम

राम तीरथ पाण्डेय एवं 6 अन्य प्रत्यर्थीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: सुश्री ईशा मित्तल, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: उमेश प्रताप सिंह, शोभ नाथ पाण्डेय

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री ईशा मित्तल और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश प्रताप सिंह के साथ श्री शोभ नाथ पाण्डेय को सुना।
2. वर्तमान अंतःन्यायालय अपील के माध्यम से, अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 2846/1992 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया गया था कि अपीलकर्ता, रिट याचिकाकर्ताओं को वेतन के बकाये का भुगतान संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर करें।
3. अपीलकर्ताओं की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर इस आधार पर हमला किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार किए बिना वेतन के बकाये के भुगतान का निर्देश जारी कर दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने कर्तव्य से फरार रहा था और चूंकि उसने कोई कार्य नहीं किया था, इसलिए 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांतों पर वह किसी भी वेतन या उसके बकाये का हकदार नहीं था।
4. यह आगे तर्क दिया गया है कि संबंधित संस्था में प्रधानाचार्य के पद को लेकर प्रत्यर्थी संख्या 1 और प्रबंध समिति के बीच विवाद था, जहाँ एक श्री राधे श्याम तिवारी का चयन किया गया था। यह भी आग्रह किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कुछ अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रभाव में थे, एक अस्वास्थ्यकर वातावरण बनाया और यहाँ तक कि उपस्थिति पंजिका भी ले गए। प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरुद्ध एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और रिट याचिका स्वीकार करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया।

5. सुश्री मित्तल ने न्यायालय का ध्यान उस प्रति-शपथ पत्र की ओर आकर्षित किया जो प्रबंध समिति के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इस उद्देश्य से दायर किया गया था कि न्यायालय को यह समझाया जा सके कि प्रत्यार्थी संख्या 1 का आचरण निष्कलंक नहीं था और साथ ही यह तथ्य भी कि उसे बर्खास्त कर दिया गया था, फिर भी विद्वान एकल न्यायाधीश ने वेतन के बकाये के भुगतान का निर्देश पारित किया है जो नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इस अपील को स्वीकार करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।
6. प्रत्यार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन किया और आग्रह किया कि जहाँ तक इस तथ्य का संबंध है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 संस्था में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि प्रत्यार्थी संख्या 1 के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी या उसके कथित कदाचार के लिए कोई दंड आदेश पारित किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया कि प्रबंध समिति या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की जा सकी जिससे यह संकेत मिले कि प्रत्यार्थी संख्या 1 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था या उसने कार्य नहीं किया था।
7. ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यार्थी संख्या 1 कार्य करना जारी रखे हुए था और प्रत्यार्थी संख्या 1 के विरुद्ध उसकी बर्खास्तगी और अनियंत्रित आचरण से संबंधित लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके और किसी भी सामग्री के अभाव में प्रति-शपथ पत्र में केवल किए गए तर्क सिद्ध तथ्य का रूप नहीं ले सकते, इसलिए अपीलकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया गया और रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्णय इस न्यायालय द्वारा अपने अंतःन्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार में किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।
8. न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का भी अवलोकन किया है।
9. शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 ने वर्ष 1992 में रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि प्रत्यार्थी अधिकारियों/अपीलकर्ताओं को रिट याचिकाकर्ता/प्रत्यार्थी संख्या 1 को वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।
10. रिकॉर्ड आगे इंगित करता है कि अपीलकर्ताओं की ओर से 07.12.2015 को एक प्रति-शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें प्रत्यार्थी संख्या 1 के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलकर्ता अधिकारियों द्वारा लिए गए पक्ष के समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं रखा जा सका।
11. इसी प्रकार, प्रबंध समिति की ओर से दायर प्रति-शपथ पत्र का भी अवलोकन किया गया और यह न्यायालय पाता है कि प्रति-शपथ पत्र में लिए गए पक्ष की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सामग्री नहीं है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. अपीलकर्ताओं की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि यदि प्रत्यार्थी संख्या 1 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तो उसका परिणाम क्या रहा। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता से यह भी पूछा गया कि क्या प्रत्यार्थी संख्या 1 के अनियंत्रित व्यवहार के लिए उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और यदि प्रत्यार्थी संख्या 1 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, तो क्या उक्त बर्खास्तगी आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष भी रखा गया था। अपीलकर्ताओं की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता उपरोक्त बिंदुओं पर न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सकीं।
13. मामले के इस दृष्टिकोण में और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुए कि जहाँ तक 08.07.1972 को सहायक अध्यापक के पद पर प्रत्यार्थी संख्या 1 की नियुक्ति का संबंध है, यह तथ्य निर्विवाद रहा। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया एक अन्य निष्कर्ष यह था कि यद्यपि प्रति-शपथ पत्र दायर किया गया था, फिर भी रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया जा सका जिससे यह साबित हो सके कि प्रत्यार्थी संख्या 1 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
14. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 कार्य नहीं कर रहा था, इसे भी प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि प्रबंध समिति द्वारा दायर प्रति-शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि प्रत्यार्थी संख्या 1 को न्यायालय द्वारा 11.05.1992 को जारी अंतरिम निर्देश के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया था और कभी भी यह तर्क नहीं दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ता कार्य नहीं कर रहा था और न ही इस आधार पर अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
15. ये निष्कर्ष जिन्हें वर्तमान अपील में चुनौती देने की मांग की गई है, प्रमाणित नहीं किए गए हैं और अपील के ज्ञापन में आधार लेने के अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उक्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं।
16. मामले के इस दृष्टिकोण में, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाता है, तदनुसार, वर्तमान अपील गुण-दोष रहित है। विशेष अपील खारिज की जाती है। रिट-ए संख्या 2846/1992 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2024 की पुष्टि की जाती है। तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

ए.एन.के.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"